न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **31/25 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2025/108

1. लक्ष्मणपुरी पुत्र गणेशपुरी जाति गोस्वामी, उम्र वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. पटवारी, पटवार हल्का ढून्ढीया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सम्मत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.01.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नान्दोलीखुर्द, पटवार हल्का ढुन्ढीया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 452, 453, 454 किता 3 कुल रकबा 1.1250 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतंत्र खातेदारी हक से अंकित है। आराजी नम्बर 448 रकबा 0.2671 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के नाम पर अंकित है।
2. यह कि उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की कृषि आराजी में आवागमन करने के लिये 30 फीट चौड़ा मार्ग मुख्य रास्ते से अर्थात किस्म रास्ता आराजी नम्बर 383 के उत्तरी दिशा में स्थित आराजी नम्बर 448 रकबा 0.2671 हैक्टेयर भूमि के पूर्वी भू भाग पर खाली पड़ी भूमि में सदीप से बना हुआ है जो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाता हुआ होकर मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 452, 453 के दक्षिणी सीमा के सटमा तक बना हुआ है जिससे होकर मैं प्रार्थी एवं मेरे पूर्वाधिकारी इस कृषि भूमि आराजी पर सदीप से कृषि उपज, खाद, बीज आदि वैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा लाते ले जाते आ रहे है तथा वर्तमान में भी इसी रास्ता का मेरी जमीन पर आवागमन के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने या कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर लाने–ले–जाने का कोई साधन उपलब्ध नही है और न ही कभी रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि सदीप से मुझ प्रार्थी की कृषि आराजी में आवागमन करने के लिये 30 फीट चौड़ा मार्ग मुख्य रास्ते से होकर रास्ते के पूर्वी दिशा में स्थित आराजी नम्बर 448 में अंकित भूमि के पूर्वी भू भाग पर खाली पड़ी भूमि पर रहा है तथा वर्तमान में भी यही मार्ग है। इसके अलावा मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये कोई मार्ग नही है। इसलिये मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमा तक आवागमन करने के लिये मुख्य रास्ते से आराजी नम्बर 448 के पूर्वी भू भाग पर 30 फीट चौड़ा रास्ता रिकोर्डेड कायम कराया जाना न्याय हित में आवश्यक है और इस भूमि में रिकोर्डेड मार्ग कायम किये जाने में जो भी व्यय होगा वह एवं रास्ता बाबत् ली जाने वाली भूमि की कीमत मैं प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमा/वहन करने को तैयार एवं तत्पर है।
4. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 10–09–2025 को उत्पन्न हुआ जब मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण से मेरी कृषि भूमि तक पहुँचने के लिये उक्त आराजी नम्बर 448 में वर्णित राजकीय भूमि में 30 फीट चौड़ा रास्ता नियमानुसार शुल्क जमा कर कायम करने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय आपमें मुकदमा कर रास्ता कायम कराने की बात कही और कोई कार्यवाही नही की, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
5. अंत में निवेदन किया की मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि मुझ प्रार्थी की आराजीयात पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 448 में 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ता के रूप में अमल अमलदरामद व तरमीम किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। उक्त भूमि में रास्ता कायम किये जाने बाबत् होने वाला समस्त व्यय एवं रास्ता बाबत् ली जाने भूमि की कीमत न्यायालय के आदेशानुसार मैं प्रार्थी जमा/वहन करने को तैयार है। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।
6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार मावली द्वारा बिन्दूवार रिपोर्ट पेश की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजा नान्दोलीखुर्द प.ह. ढुन्ढीया की जमाबन्दी संवत् 2077–80 के खाता संख्या 126 पर दर्ज आराजी नम्बर 452, 453, 454 रकबा 1.1250 हेक्टेयर भूमि लक्ष्मणपुरी पुत्र गणेशपुरी जाति गोस्वामी सा. ढुंढिया खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खातेदारों को अपनी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 452, 453, 454 रकबा 1.1250 हेक्टेयर भूमि में जाने हेतु कोई बिलानाम रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा इसकी खातेदार को अत्यधिक आवश्यकता है। खातेदार को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रस्तावित रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यूनतम दूरी वाला है। प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 448 रकबा 0.2671 किस्म उसर बिलानाम खाता संख्या 1 में से 0.0280 हेक्टेयर संलग्न नक्शे अनुसार प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ तहसील राजस्व लेखाकार की मूल्यांकन रिपोर्ट भी संलग्न की गई। तहसील राजस्व लेखाकार की मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रकबा 0.0280 हैक्टयर भूमि का डी.एल.सी.दर. 717000 रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी कीमत 40152 रूपये बनना बताया है।

7. अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा भी तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम नान्दोली खुर्द पटवार हल्का ढुन्ढीया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 126 पर दर्ज आराजी नम्बर 452 रकबा 0.2104 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। बिलानाम आराजी नम्बर 383 रकबा 0.3157 हेक्टेयर किस्म रास्ता एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 452 के मध्य बिलानाम आराजी नम्बर 448 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 383 रकबा 0.3157 हैक्टेयर किस्म रास्ता से बिलानाम आराजी नम्बर 448 रकबा 0.2671 हैक्टेयर में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार निकटतम तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.0280 हैक्टर अर्थात 280 वर्गमीटर भूमि बनती है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) [illegible] है। चुंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purmadia
Date: 2026.02.10 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली बिलानाम भूमि ग्राम नान्दोली खुर्द के आराजी नम्बर 448 रकबा 0.2671 हैक्टेयर में से 0.0280 हैक्टेयर अर्थात 280 वर्गमीटर भूमि जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 717000 रूपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार प्रस्तावित भूमि का मुल्यांकन का दुगुना 40152 रू. बनना बताया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम नान्दोलीखुर्द पटवार हल्का ढुन्ढीया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 1 पर दर्ज बिलानाम आराजी नम्बर 448 रकबा 0.2671 हैक्टेयर भूमि में से 0.0280 हैक्टेयर भूमि अर्थात 280 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत का दुगुना 40,152/– रूपयें अक्षरे चालीस हजार एक सौ बावन रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जावे। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested